भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 13)

[6 अगस्त, 2022]

अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षा हेतु और अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षण संबंधी अभिसमय और अंटार्कटिक संधि की पर्यावरण संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल को प्रभावी करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय उपायों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

अंटार्कटिक संधि पर वाशिंगटन डी.सी. में 1 दिसंबर, 1959 को हस्ताक्षर किए गए थे ;

और अंटार्कटिक संधि पर प्रारंभ में बारह देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और उसी समय से बयालीस अन्य देशों में भी इस संधि को अंगीकार किया है ;

और संधि के कुल चौवन राज्य पक्षकारों, उनतीस देशों को अंटार्कटिक परामर्शदात्री अधिवेशनों में मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पक्षकार की प्रास्थिति भी प्राप्त है और पच्चीस देशों को, जो अपरामर्शदात्री पक्षकार हैं, उनमें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है ;

और भारत ने अंटार्कटिक संधि पर 19 अगस्त, 1983 को हस्ताक्षर किए थे और 12 सितंबर, 1983 को परामर्शदात्री प्रास्थिति प्राप्त हुई ;

और अन्य बातों के साथ, अंटार्कटिक पर्यावरण की संरक्षा और उसके परिरक्षण के लिए और विशिष्टतया, अंटार्कटिक में समुद्री जीव संपदा के परिरक्षण और उसकी संरक्षा के लिए अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा की संरक्षा संबंधी अभिसमय पर 20 मई, 1980 को कैनबरा में हस्ताक्षर किए गए थे ;

और भारत ने उक्त अभिसमय को 17 जून, 1985 को अनुसमर्थित किया था और उस अभिसमय के अधीन अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षा आयोग का एक सदस्य है ;

और अन्य बातों के साथ, अंटार्कटिक संधि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए और अंटार्कटिक पर्यावरण तथा आश्रित और सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षा के लिए एक व्यापक व्यवस्था के विकास हेतु अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल पर 4 अक्तूबर, 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे ;

और भारत ने 14 जनवरी, 1998 को अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए ;

और अंटार्कटिक 60^0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित है और जो एक प्राकृतिक आरक्षिति है, शांति और विज्ञान के प्रति समर्पित है तथा जिसे किसी अंतरराष्ट्रीय मतभेद का दृश्य या विषय नहीं बनना चाहिए ;

और उक्त संधि, अभिसमय और प्रोटोकाल को प्रभावी करने के लिए तथा अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षा और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र और अंटार्कटिक में परिकल्पित विभिन्न क्रियाकलापों के विनियमन का उपबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए आवश्यक समझा गया है ।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

लागू होना ।

2. यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू होगा,—

(क) भारत के नागरिक ; या

(ख) किसी अन्य देश के नागरिक ; या

(ग) कोई कंपनी, निगमित निकाय, निगम, भागीदारी फर्म, सहउद्यम, व्यक्तियों का संगम या भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस रूप में निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत कोई अन्य इकाई ; या

(घ) भारत में या भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत कोई जलयान या वायुयान, यदि ऐसा व्यक्ति, जलयान या वायुयान, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी

अनुज्ञापत्र के अधीन अंटार्कटिक के किसी भारतीय अभियान का भाग है और इसमें ऐसा कोई जलयान या वायुयान जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, किन्तु अंटार्कटिक में प्रवेश करने के लिए किसी अन्य पक्षकार द्वारा भाड़े पर लिया गया है, भी सम्मिलित होगा ;

(ङ) अंटार्कटिक में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट हैं, अर्थात् :—

(i) अंटार्कटिक महाद्वीप, जिसमें इसके आइस शेल्फ सम्मिलित हैं ;

(ii) 60^0 दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित सभी द्वीप, जिसमें उसके आइस शेल्फ सम्मिलित हैं ;

(iii) महाद्वीपीय शेल्फ के सभी क्षेत्र, जो उस महाद्वीप के पार्श्वस्थ हैं या वे द्वीप, जो 60^0 दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में हैं ;

(iv) 60^0 दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित सभी समुद्र और वायु क्षेत्र ; और

(v) अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा के संरक्षण संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र ।

3. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(क) "क्रियाकलाप" से अंटार्कटिक में किसी प्रकार का कार्यचालन अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत पर्यटन, अनुसंधान, संरक्षण, मछली पकड़ना और वाणिज्यिक मछली पकड़ना भी है ;

1934 का 22 (ख) "वायुयान" का वही अर्थ है, जो वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (1) में उसका है ;

(ग) "विश्लेषक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन किसी नमूने या पदार्थ को एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए समिति द्वारा उस रूप में पदाभिहित किया गया है ;

(घ) "संधि का अन्य पक्षकार" या "प्रोटोकाल का अन्य पक्षकार" से भारत से भिन्न कोई अन्य पक्षकार अभिप्रेत है ;

(ङ) "अंटार्कटिक" से धारा 2 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट अंटार्कटिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(च) "अंटार्कटिक पर्यावरण" से अंटार्कटिक पर्यावरण पर आश्रित और सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें उसकी बंजर भूमि और सौन्दर्य शास्त्र की दृष्टि से तात्विक महत्व, वैज्ञानिक अनुसंधान या ऐसे अनुसंधान जो वैश्विक पर्यावरण, जलवायु और वातावरण की बनावट को समझने के लिए आवश्यक हैं के संचालन के लिए किसी क्षेत्र के रूप में इसका महत्व अभिप्रेत है ;

(छ) "समिति" से धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षा समिति अभिप्रेत है ;

(ज) "व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन" से धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट पर्यावरण समाघात निर्धारण का कोई व्यापक मूल्यांकन अभिप्रेत है ;

(झ) "अभिसमय" से कैनबरा, आस्ट्रेलिया में 20 मई, 1980 को हस्ताक्षरित अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा का संरक्षण संबंधी अभिसमय अभिप्रेत है ;

(ञ) "परामर्शदात्री पक्षकार" से अंटार्कटिक संधि का और अंटार्कटिक संधि पर्यावरणीय संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल का हस्ताक्षरकर्ता कोई राज्य पक्षकार

अभिप्रेत हैं, जिसको अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री अधिवेशन द्वारा अंगीकृत किसी विनिश्चय, उपाय और संकल्पों में मत देने का अधिकार प्राप्त है ;

(ट) "भारतीय अभियान'' से भारत द्वारा आयोजित अंटार्कटिक के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की गई कोई यात्रा अभिप्रेत है ;

(ठ) "प्रारंभिक पर्यावरणीय मूल्यांकन'' से धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का प्रारंभिक मूल्यांकन अभिप्रेत है ;

(ड) "भूमि'' के अंतर्गत आइस शेल्फ की वैज्ञानिक परिभाषा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी द्वीप, महाद्वीपीय शेल्फ और कोई आइस शेल्फ आता है ;

(ढ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित" पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा ;

(ण) जलयान या वायुयान के संबंध में "आपरेटर'' से उस जलयान या वायुयान का तत्समय प्रबंध करने वाला स्वामी या व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(त) "पक्षकार'' से अंटार्कटिक संधि के हस्ताक्षरकर्ता कोई राज्य पक्षकार या संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य राज्य अभिप्रेत है ;

(थ) "अनुज्ञापत्र'' से धारा 27 के अधीन समिति द्वारा जारी किया गया कोई अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है ;

(द) "व्यक्ति'' से धारा 2 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है ;

(ध) "विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(न) "प्रोटोकाल'' से 4 अक्तूबर, 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर की गई अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल अभिप्रेत है, जो 14 जनवरी, 1998 को प्रवृत्त हुआ था ;

(प) "आस्थान'' के अंतर्गत अंटार्कटिक में कोई कार्य स्थल, भवन या भवनों का समूह या कोई अस्थायी सुविधा सम्मिलित है ;

(फ) "संधि'' से 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन डी.सी. में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि अभिप्रेत है, जो 23 जून, 1961 को प्रवृत्त हुई थी ;

(ब) "जलयान'' का वही अर्थ है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 1958 का 44 की धारा 3 के खंड (55) में उसका है ;

(भ) "अपशिष्ट'' से अप्रयोज्य अनुपयोगी जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसा ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ सम्मिलित है, जिसको कब्जा रखने वाला या उत्पादक, उसका निस्सारण करना चाहता है या जिसकी नियंत्रित निपटान लोक कल्याण को परिरक्षित रखने के लिए अपेक्षा की जाती है और विशिष्टतया, पर्यावरण की संरक्षा ; या अवशिष्ट रेडियो धर्मी पदार्थ या खोली गई या विखंडित सुविधाओं का रेडियो धर्मी घटक भी है, जिनका नियंत्रित निपटान परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अनुसार किया जाएगा । 1962 का 33

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संधि या अभिसमय या प्रोटोकाल में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उस संधि या अभिसमय या प्रोटोकाल में उनके हैं ।

अध्याय 2

अनुज्ञापत्र विषयक आवश्यकता

अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान के लिए अनुज्ञापत्र ।

4. किसी भारतीय अभियान में कोई व्यक्ति प्रोटोकाल के किसी अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के बिना अंटार्कटिक में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति के मामले में अनुज्ञापत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जो अंटार्कटिक के बाहर किसी अव्यवहित गंतव्य स्थान के लिए खुले समुद्र से गुजरकर या उसके ऊपर से हो कर यात्रा कर रहा है ।

अंटार्कटिक में भारतीय स्थान के लिए अनुज्ञापत्र ।

5. कोई व्यक्ति, प्रोटोकाल के किसी अन्य पक्षकार के किसी अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के बिना, अंटार्कटिक के किसी भारतीय स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा ।

अंटार्कटिक में प्रवेश के लिए जलयान या वायुयान को अनुज्ञापत्र ।

6. भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई जलयान या वायुयान प्रोटोकाल के किसी अन्य पक्षकार के किसी अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के बिना अंटार्कटिक में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा :

परंतु ऐसे जलयान के मामले में अनुज्ञापत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जो अंटार्कटिक के बाहर किसी अव्यवहित गंतव्य स्थान के लिए खुले समुद्र से गुजर कर या उसके ऊपर से हो कर यात्रा कर रहा है :

परंतु यह और कि अंटार्कटिक के बाहर किसी अव्यवहित गंतव्य स्थान तक यात्रा करने वाले किसी वायुयान के संबंध में अनुज्ञापत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

खनिज संपदा क्रियाकलाप के लिए अनुज्ञापत्र ।

7. इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी अनुज्ञापत्र पत्र के सिवाय, अंटार्कटिक में कोई व्यक्ति या जलयान,—

(क) खनिज संपदा के लिए ड्रिल, निकर्षण या उत्खनन नहीं करेगा ;

(ख) खनिज संपदा के कोई नमूने एकत्रित नहीं करेगा ;

(ग) विनिर्दिष्ट खनिज संपदा की उपस्थिति या निक्षेप या ऐसे क्षेत्रों की, जहां ऐसी उपस्थिति या निक्षेप पाए जाएं, पहचान करने के प्रयोजन के लिए कुछ नहीं करेगा :

परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई अनुज्ञापत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक समिति का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे क्रियाकलाप केवल—

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान के ; या

(ख) अंटार्कटिक में किसी भारतीय स्थान के संनिर्माण, रखरखाव या मरम्मत या भारत द्वारा या उसकी ओर से अनुरक्षित किसी अन्य ढांचे, सड़क, रनवे या जेटी से संबंधित प्रयोजनों के लिए ही किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''खनिज संपदा'' से ऐसी कोई प्राकृतिक संपदा अभिप्रेत है, जो न तो जीवित हैं और न ही नवीकरणीय है ।

अंटार्कटिक में कतिपय क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञापत्र देना ।

8. अंटार्कटिक में कोई व्यक्ति, प्रोटोकाल के किसी अन्य पक्षकार के किसी अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के बिना,—

(क) किसी देशज पौधे को ऐसी रीति में साशय नहीं हटाएगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो उनके स्थानीय वितरण या बाहुल्य को विशेष रूप से प्रभावित करती है ;

(ख) हेलीकाप्टर या अन्य वायुयान साशय ऐसी रीति में नहीं उड़ाएगा या नहीं उतारेगा, जिससे देशज पक्षियों या सील मछलियों के संकेन्द्रण को अस्तव्यस्त करती है ;

(ग) यान या जलयान, जिसमें होवर क्राफ्ट और कोई लघु नौका सम्मिलित है, का उपयोग ऐसी रीति में साशय नहीं करेगा, जो देशज पक्षियों या सील मछलियों के संकेन्द्रण को अस्त-व्यस्त करती है ;

(घ) किसी विस्फोटक या अग्नायुध का प्रयोग ऐसी रीति में साशय नहीं करेगा, जो देशज पक्षियों या सील मछलियों के संकेन्द्रण को अस्तव्यस्त करती है ;

(ङ) पैदल चलते समय, देशज पक्षियों के प्रजनन में या पंखों के झड़ाव में या सील मछलियों के संकेन्द्रण को साशय बाधा नहीं पहुंचाएगा ;

(च) किसी वायुयान को उतारकर, किसी यान को चलाकर या उस पर चल कर, किसी स्थलीय देशज पौधों के संकेन्द्रण को विशेष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएगा ;

(छ) किसी ऐसे क्रियाकलाप में नहीं लगेगा, जिसका परिणाम किसी विशेषतया संरक्षित प्रजाति या देशज स्तनपायी की जनसंख्या, देशज पक्षियों, देशज पौधों या देशज अकशेरुकी के प्राकृतिक वास में विशेष प्रतिकूल परिवर्तन है ;

(ज) अंटार्कटिक की मिट्टी या किसी देशज जैविक सामग्री को साशय नहीं हटाएगा ; या

(झ) किसी देशज स्तनपायी या देशज पक्षियों का तब तक वध नहीं करेगा, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा, नहीं पकड़ेगा, नहीं छुएगा या उनके साथ छेड़-छाड़ नहीं करेगा जब तक ऐसा कार्य किसी व्यक्ति के प्राण के संरक्षण के लिए न किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''देशज पक्षी'' से ऐसे पक्षी वर्ग का, जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी है या जो प्राकृतिक प्रव्रजन, जिसमें कोई भाग, उत्पाद, अन्डे या सन्तान या मृतशरीर या उसके भाग और जीवाश्म भी है, के माध्यम से मौसमानुसार आते हैं, की किसी भी प्रजाति के जीवन चक्र के किसी भी प्रक्रम पर जिसमें उनके अन्डे भी है, सदस्य अभिप्रेत है ;

(ii) "देशज अकशेरुकी'' से अपने जीवन चक्र के किसी चरण पर, कोई स्थलीय या जलीय अकशेरुकी अभिप्रेत है, जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी हैं, जिसके अंतर्गत उसका कोई भाग और जीवाश्म आता है ;

(iii) "देशज स्तनपायी'' से ऐसे स्तनपायी वर्ग का, जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी है या जो प्राकृतिक प्रव्रजन, जिसमें कोई भाग, उत्पाद, अन्डे या सन्तान या मृत शरीर या उसके भाग और जीवाश्म भी है, के माध्यम से मौसमानुसार आते हैं, को किसी प्रजाति के जीवनचक्र के किसी भी प्रक्रम पर, जिसमें उनके अन्डे भी है, सदस्य अभिप्रेत है ;

(iv) "देशज पौधे'' से कोई स्थलीय या जलीय वनस्पति, जिसमें ब्रायोफाइट, शैवाल, फफूंदी और शैवाल भी है, उसके जीवनचक्र के किसी भी प्रक्रम

पर, जिसमें ऐसे बीज और अन्य प्रजनक जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी है या जीवाश्म से भिन्न ऐसी वनस्पति के भाग भी है, अभिप्रेत है ;

(v) "विशेषतया संरक्षित प्रजाति'' से ऐसी देशज प्रजातियां अभिप्रेत हैं, जो प्रोटोकाल और अभिसमय में विशेषत: संरक्षित प्रजातियों के रूप में अभिहित की गई हैं ।

अंटार्कटिक में अदेशज पशु और पौधों को ले जाने के लिए अनुज्ञापत्र ।

9. कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान अंटार्कटिक के किसी भाग में, किसी प्रजाति के किसी ऐसे पशु को, जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी नहीं है या कोई पौधा, जो देशज पौधा नहीं है, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के अनुसार ही ले जाएगा अन्यथा नहीं :

परंतु इस धारा के उपबंध कुक्कुट पालन या जीवित पशुओं से भिन्न खाद्य के लिए लागू नहीं होगा ।

सूक्ष्मदर्शी जीवों को ले जाने के लिए अनुज्ञापत्र ।

10. कोई व्यक्ति, अंटार्कटिक के किसी भाग में, किसी प्रजाति का सूक्ष्मदर्शी जीव को, जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी नहीं है, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के अनुसार ही ले जाएगा अन्यथा नहीं ।

संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञापत्र ।

11. कोई व्यक्ति या जलयान या वायुयान अंटार्कटिक विशेषत: संरक्षित क्षेत्र या समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, जो विहित की जाए, में प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के अनुसार ही प्रवेश करेगा अन्यथा नहीं ।

अपशिष्ट के निपटान के लिए अनुज्ञापत्र ।

12. कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान को प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के अनुसार ही, अंटार्कटिक में अपशिष्ट का निपटान करेगा अन्यथा नहीं ।

समुद्र में निस्सारण के लिए अनुज्ञापत्र ।

13. कोई जलयान, जब वह अंटार्कटिक में हो, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के अनुसार ही समुद्र में कोई तेल, या तेलीय मिश्रण, बहिस्राव, नितल जल या किसी खाद्य के अपशिष्ट को निस्सारित करेगा अन्यथा नहीं ।

अंटार्कटिक से जैवीय नमूना या कोई अन्य सैम्पल को हटाने के लिए अनुज्ञापत्र ।

14. (1) समिति, किसी व्यष्टिक मामले में, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगा, अर्थात् :—

(i) नमूने या अध्ययन के लिए कोई अन्य सैम्पल या वैज्ञानिक सूचना प्राप्त करने के लिए ;

(ii) संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय, चिड़ियाघर और वनस्पतीय उद्यानों या अन्य शैक्षणिक या सांस्कृतिक संस्थाओं या प्रयोगों के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए :

परंतु ऐसी अनुज्ञापत्र सीमित होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके, कि—

(क) केवल ऐसी संख्या ऐसे देशज स्तनपायी, पक्षी, अकशेरुकी, पौधे या कोई अन्य नमूने की, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए आवश्यकताओं को पूर्णतया से पूरा किया जा सके ;

(ख) केवल ऐसे देशज स्तनपायी या पक्षी, जिनका ऐसी संख्या में किया जाता हैं, जितनी आगामी मौसम में प्राकृतिक प्रजनन द्वारा साधारतया प्रतिस्थापित किया जा सके ;

(ग) प्रजातियों की विविधता और साथ ही उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक प्राकृतिक वास है और अंटार्कटिक में विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखा जा सके ;

(घ) ओम्मेटोफोकेरोस्सी (रोस सील) या कोई अन्य प्रजाति, जो विहित की जाए, को विशेष संरक्षण दिया जाएगा और केवल वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए इन प्रजातियों का वध करने, उन्हे क्षति पहुंचाने, उन्हें पकड़ने या उन्हें छूकर देखने के लिए ही अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकेगा, यदि उस प्रजाति या स्थानीय जनसंख्या की उत्तरजीविता को या स्वास्थ-लाभ को जोखिम में नहीं डाला जाता है और जहां तक हो सके, अप्राणघातक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ; और

(ङ) स्तनपायी या पक्षियों का वध करना या क्षति पहुंचाना या पकड़ना या ऐसी रीति में प्रयोग किया जाता है, जिसमें पीड़ा और यातना कम से कम हो ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए जारी अनुज्ञापत्र में जारी करने वाले प्राधिकारी और अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाले का नाम, अनुज्ञात अवधि और क्रियाकलाप जिसमें एकत्रित किए जाने वाले आशयित सैम्पल का आकार, भार और परिमाण भी है, के स्थान का उल्लेख होगा ।

आपातकाल के दौरान कतिपय उपबंधों का लागू न होना ।

15. धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 11, धारा 12 और धारा 13 के उपबंध ऐसे आपातकालों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिनमें किसी व्यक्ति की सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण या किसी जलयान, वायुयान, उपस्कर या सुविधा, जिसका एक महत्वपूर्ण मूल्य है, अन्तर्वलित है ।

अंटार्कटिक में वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए विशेष अनुज्ञापत्र ।

16. कोई व्यक्ति, जो वाणिज्यिक रूप से मछली पकड़ने के प्रयोजन हेतु अंटार्कटिक जाने का आशय रखता है, समिति के माध्यम से अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा के संरक्षण के लिए आयोग के सचिवालय से अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करेगा ।

अध्याय 3

प्रतिषेध

अंटार्कटिक में परमाणु विस्फोट या रेडियो एक्टिव अपशिष्ट तत्व का निपटान करने के लिए प्रतिषेध ।

17. कोई व्यक्ति, अंटार्कटिक में कोई परमाणु विस्फोट या किसी रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का निपटान नहीं करेगा ।

अंटार्कटिक में उपजाऊ मिट्टी को ले जाने का प्रतिषेध ।

18. कोई व्यक्ति या यान, अंटार्कटिक के किसी भाग में उपजाऊ मिट्टी को नहीं ले जाएगा ।

विनिर्दिष्ट पदार्थों और उत्पादों को ले जाने का प्रतिषेध ।

19. कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान, किसी पदार्थ या उत्पाद को, जो विहित की जाए, अंटार्कटिक में नहीं ले जाएगा ।

ऐतिहासिक स्थलों और संस्मारकों से संबंधित प्रतिषेध ।

20. कोई व्यक्ति, अंटार्कटिक में किसी ऐतिहासिक स्थल या संस्मारक या उसके भाग को, जो विहित किया जाए, क्षति नहीं पहुंचाएगा, उसे नष्ट नहीं करेगा या उसे नहीं हटाएगा ।

कब्जा, विक्रय, इत्यादि का प्रतिषेध ।

21. कोई व्यक्ति या जलयान या कोई वायुयान, जब वह अंटार्कटिक में हो, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उसका विक्रय नहीं करेगा, विक्रय की प्रस्थापना नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा, उसका परिवहन, अंतरण नहीं करेगा या किसी वस्तु को नहीं भेजेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में प्राप्त किया गया है ।

22. कोई जलयान, जब वह अंटार्कटिक में है, कोई कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक या अन्य उत्पाद या पदार्थ को, जो समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक हो समुद्र में निस्सारित नहीं करेगा । कतिपय उत्पाद या पदार्थ के निस्सारण का प्रतिषेध ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी जलयान के संबंध में, कूड़ा-कचरा से सभी प्रकार के रसद, घरेलू और कार्यचालन अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत ताजी मछलियां और उसके भाग नहीं हैं, जो लदान के सामान्य प्रचालन के दौरान उत्पादित हुए हैं और सतत रूप से या आवधिक रूप से निपटान किए जाने के लिए दायी होंगे ।

अध्याय 4

अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति

23. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक समिति का गठन करेगी, जिसे अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति कहा जाएगा, जो निम्नलिखित संदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :— समिति का गठन ।

(क) सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय – अध्यक्ष, पदेन ;

(ख), केंद्रीय सरकार के किसी निम्नलिखित से संबंधित मंत्रालय या विभाग या संगठन से किसी से, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस ऐसे सदस्य, जो संयुक्त सचिव – पदेन की पंक्ति से नीचे के न हों, – पदेन—

(i) रक्षा ;

(ii) विदेश ;

(iii) वित्त ;

(iv) मत्स्य पालन;

(v) विधि कार्य;

(vi) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;

(vii) पोत परिवहन;

(viii) पर्यटन;

(ix) पर्यावरण;

(x) संचार ;

(xi) अंतरिक्ष;

(xii) राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केन्द्र; और

(xiii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों के नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ,—

(i) अंटार्कटिक पर्यावरण ; और

(ii) भू-राजनीति ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सुसंगत क्षेत्र में ऐसे अन्य विशेषज्ञ ।

(2) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेंगे ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते या फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(5) सदस्य अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, जो विहित की जाए ।

समिति की बैठकें ।

24. समिति ऐसे अंतरालों पर बैठक करेगी और उसकी बैठकों (जिसके अंतर्गत वहां गणपूर्ति भी है) के कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो विहित किए जाएं ।

समिति के कृत्य ।

25. समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) प्रचालकों द्वारा और अंटार्कटिक में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में अभिनियोजित किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय विधियों, उत्सर्जन मानकों और नियमों की मानीटरी, क्रियान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना ;

(ख) अंटार्कटिक में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के संबंध में कोई सलाहकारी, पर्यवेक्षीय या प्रर्वतन क्रियाकलाप करना ;

(ग) संधि, अभिसमय, नयाचार के पक्षकारों और अंटार्कटिक के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में अभिनियोजित अन्य पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सुसंगत सूचना और रिपोर्टें अभिप्राप्त करना और उनका पुनर्विलोकन करना ;

(घ) अंटार्कटिक में पक्षकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों और क्रियाकलापों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करना ;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि संधि, अभिसमय, नयाचार के अधीन ऐसे कार्यक्रमों और क्रियाकलापों, जो भारत की बाध्यताओं और भारत में तत्समय प्रवृत्त ऐसी अन्य सुसंगत विधि से संगत हो ;

(च) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञापत्र के निबंधनों और शर्तों को अवधारित करना ;

(छ) संधि, अभिसमय और नयाचार के अन्य पक्षकारों के साथ, अंटार्कटिक में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के संबंध में मामला दर मामला आधार पर संधि, फीस और प्रभार्यों पर बातचीत करना ;

(ज) उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य पक्षकारों के साथ सहयोग करना ; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, समिति को इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और समिति ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार और समिति के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्याय 5

अनुज्ञापत्र का अनुदत्त करना, निलंबन करना और उसका रद्दकरण

27. (1) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार समिति को किया जाएगा । अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी संलग्न फीस के साथ होगा जो विहित की जाए ।

(3) समिति ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे और उपधारा (4) में निर्दिष्ट विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगी ।

(4) समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करते समय निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) जलवायु या मौसम पैटर्न पर प्रतिकूल प्रभाव;

(ख) वायु, हिम, मृदा, भूमि या जल की क्वालिटी पर प्रतिकूल प्रभाव;

(ग) वायुमंडलीय, स्थलीय, जलीय, हिमनदीय, ध्वनि या समुद्री पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(घ) देशज जीवाणु, जीव-जंतु या पादप प्रजातियों अथवा उनकी जीव संख्या के वितरण, प्रचुरता या उत्पादकता में अपहानिकर परिवर्तन ;

(ङ) संकटापन्न प्रजातियों या जीव संख्या को अपहानि या जोखिम में डालना ;

(च) पर्यावरणीय, जैव, भू-वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, ऊसर या सौंदर्यपरक महत्व के अथवा आदि युगीन प्रकृति के क्षेत्रों को अपहानि या विपुल जोखिम में डालना ; और

(छ) अंटार्कटिक पर्यावरण और उसके आश्रित तथा सहयुक्त पारितंत्र जो विहित किए जाएं पर ऐसे अन्य महत्वपूर्ण हानिकर प्रभाव ।

(5) समिति, अनुज्ञापत्र जारी करने से पहले आवेदक से प्रस्तावित क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघात निर्धारण को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, क्रियान्वित करने की अपेक्षा करेगी और अनुज्ञापत्र जारी करेगी यदि उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है :

परंतु अंटार्कटिक में क्रियाकलापों से संबंधित अनुज्ञापत्र के लिए कोई आवेदन जिससे पर्यावरण को लघु या अस्थायी समाघात से कम समाघात कारित होने की युक्तियुक्त आशंका है, प्रस्तावित क्रियाकलाप के प्रारंभ से छह मास पूर्व समिति को किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी क्रियाकलाप की समीक्षा करते समय समिति स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखेगी :

परंतु यह भी कि यदि, परीक्षा के पश्चात्, समिति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे क्रियाकलाप से पर्यावरण पर लघु या अस्थायी से समाघात, कम समाघात कारित होने की युक्तियुक्त आशंका है तब वह आवेदक से प्रस्तावित क्रियाकलाप के

प्रारंभ से तीन मास पूर्व, प्रारंभिक पर्यावरणीय मूल्यांकन संचालित और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी :

परंतु यह भी कि यदि प्रारंभिक पर्यावरण मूल्यांकन संचालित करने के पश्चात्, समिति की यह राय है कि क्रियाकलापों का पर्यावरण पर लघु या अस्थायी समाघात से अधिक समाघात होगा तो वह आवेदक से व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन संचालित करने और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी ।

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समिति, किसी व्यक्ति को या जलयान या वायुयान को भारतीय अभियान पर इस धारा के अधीन प्राधिकृत करते हुए तब तक अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं करेगी जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभियान के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजना और आपात योजना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार नहीं की गई है:

परंतु अपशिष्ट प्रबंधन योजना में ऐसे अपशिष्ट के ब्यौरे सम्मिलित होगे जिनके निपटान के लिए अंटार्कटिक से भारतीय राज्यक्षेत्र या किसी अन्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लदान किया जाना आशयित है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "अपशिष्ट प्रबंधन योजना" से धारा 34 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन योजना अभिप्रेत है;

(ii) "आपात योजना" से धारा 39 में निर्दिष्ट पर्यावरणीय आपात से निपटने के लिए योजना अभिप्रेत है ।

(7) इस धारा के अधीन प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र जब तक कि वह उससे पहले ही प्रतिसंहृत नहीं कर दिया गया हो, ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट है और उसकी समाप्ति की तारीख से साठ दिन पहले इस निमित्त किए गए आवेदन पर ऐसी अवधि के लिए और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए नवीकृत किया जा सकेगा :

परंतु अनुज्ञापत्र की समाप्ति की तारीख से पूर्व तीस दिन के भीतर आवेदन किए जाने पर नवीकृत किया जा सकेगा यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि समय पर आवेदन नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था ।

कतिपय मामलों में स्वामी या प्रचालक का दायित्व ।

28. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई जलयान या वायुयान अंटार्कटिक में भारतीय अभियान या मछली पकड़ने का भाग है लेकिन जिसका स्वामी या प्रचालक ऐसे अभियान या मछली पकड़ने का भाग नहीं है तब ऐसा स्वामी या प्रचालक भी जो या तो किसी वर्ग अथवा अन्य वर्णन द्वारा पर्याप्त रूप से अनुज्ञापत्र में परिलक्षित है, अनुज्ञापत्र की शर्तों द्वारा आबद्धकर होगा ।

अनुज्ञापत्र का निलंबन या रद्दकरण ।

29. (1) यदि समिति के पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी अनुज्ञापत्र धारक ने आवेदन में कोई गलत या मिथ्या कथन किया है या किसी तात्विक तथ्य को छिपाया है अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश या जारी की गई किसी अधिसूचना का उल्लंघन किया है या अनुज्ञापत्र की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे अनुज्ञापत्र धारक के विरुद्ध कोई जांच पूर्ण होने तक, अनुज्ञापत्र को निलंबित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के पश्चात्, समिति किसी अन्य शास्ति जिसका अनुज्ञापत्रधारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायी हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञापत्र को रद्द कर सकेगी :

परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई अनुज्ञापत्र तब तक निलंबित या इस उपधारा के अधीन रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञापत्र के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो:

परंतु यह और कि समिति अनुज्ञापत्र धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अनुज्ञापत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगी यदि उसका ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, विधि और व्यवस्था बनाए रखने या लोकहित के अन्य मामले में तथा किसी अतिरिक्त शास्ति जिसके लिए ऐसा अनुज्ञापत्र धारक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायी है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अनुज्ञापत्र के निलंबन या रद्दकरण का आदेश दे सकेगी ।

(4) कोई व्यक्ति जिसकी अनुज्ञापत्र उपधारा (1) के अधीन निलंबन कर दिया गया है, ऐसे निलंबन के ठीक पश्चात् सभी क्रियाकलाप जिनके संबंध में ऐसा अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है, को तब तक रोक देगा, जब तक कि निलंबन का आदेश प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता है ।

(5) ऐसे अनुज्ञापत्र जिसे निलंबित या रद्द किया गया है, का धारक ऐसे निलंबन या रद्द किए जाने के ठीक पश्चात् समिति को अनुज्ञापत्र को अभ्यर्पित करेगा ।

(6) इस धारा के अधीन अनुज्ञापत्र के निलंबन या रद्द किए जाने का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा ।

अध्याय 6

निरीक्षण

भारत में निरीक्षण ।

30. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी अर्हता और अनुभव, जो विहित किया जाए, रखने वाले किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन भारत में निरीक्षण के कर्तव्यों का पालन करने के लिए और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निरीक्षक के रूप में पदाभिहित कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक,—

(क) किसी स्थान, जिसके अंतर्गत जलयान, आधान, प्लेटफार्म जिस पर समुद्र में लंगर डाला गया, पोत परिवहन आधान या प्रवहण भी है, में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) किसी पदार्थ, उत्पाद या चीज की परीक्षा कर सकेगा;

(ग) किसी पात्र या पैकेज को खोल सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, यदि उसमें कोई संदेहास्पद पदार्थ, उत्पाद या अन्य चीज अंतर्विष्ट है;

(घ) किसी पुस्तक, अभिलेख, आंकड़े या अन्य दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा और उनकी प्रतियां बना सकेगा या उनमें से उद्धरण ले सकेगा ;

(ङ) चीजों के नमूने ले सकेगा, यदि सुसंगत हो ;

(च) कोई परीक्षण संचालित कर सकेगा या कोई माप ले सकेगा; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगा जो विहित किए जाएं ।

(3) निरीक्षक, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञापत्र के उल्लंघन में लिए गए नमूने अधिहृत कर सकेगा ।

(4) निरीक्षण किए जा रहे स्थान का स्वामी या भारसाधक और निरीक्षण के स्थान पर पाया गया प्रत्येक व्यक्ति,—

(क) निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता देगा; और

(ख) ऐसी कोई सूचना प्रदान करेगा जिसकी निरीक्षक अपेक्षा करे ।

अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का निरीक्षण ।

31. (1) समिति, अंटार्कटिक में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निरीक्षण करने के प्रयोजनों के लिए एक निरीक्षण दल का गठन करेगी, जिसमें ऐसी संख्या में संप्रेक्षक होंगे जो वह आवश्यक समझे और उनमें से एक को दल के प्रमुख के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) समिति, ऐसी अर्हता और अनुभव जो विहित की जाए, रखने वाले अपने किसी अधिकारी को विश्लेषक पदाभिहित कर सकेगी, जो निरीक्षण दल का भाग होगा ।

(3) विश्लेषक, कोई नमूना या पदार्थ एकत्रित करेगा और उसकी परीक्षा करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे निरीक्षण दल के प्रमुख द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(4) अंटार्कटिक में निरीक्षण, यदि आवश्यक समझा जाए, एक या अधिक पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से किए जा सकेंगे ।

(5) निरीक्षण दल, पक्षकार या किन्हीं पक्षकारों को, जिसके स्टेशन के निरीक्षण करने का वह प्रस्ताव करता है, पूर्व सूचना देकर किसी स्टेशन का निरीक्षण कर सकेगा ।

(6) निरीक्षण दल, किसी युक्तियुक्त समय पर किसी स्थान में, जिसका उसके पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिक में भारत द्वारा प्रबंध किए गए जलयान, वायुयान, आधान, प्लेटफार्म जिस पर समुद्र में लंगर डाला हुआ है, पोत परिवहन आधान या प्रवहण भी हैं, प्रवेश कर सकेगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे जलयान या वायुयान को लागू नहीं होगी जो भारतीय अभियान का हिस्सा नहीं है ।

(7) निरीक्षण दल संबद्ध पक्षकार को पूर्व सूचना देकर अंटार्कटिक में किसी जलयान या वायुयान पर किसी युक्तियुक्त समय पर चढ़ सकेगा या यात्रा कर सकेगा और ऐसे जलयान या वायुयान अथवा संसूचना प्रणाली का निरीक्षण कर सकेगा ।

(8) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निरीक्षण दल, किसी आस्थान, संस्थापन, उपस्कर, प्लेटफार्म जिस पर समुद्र में लंगर डाला हुआ है, पोत-परिवहन आधान या प्रवहण (जलयान या वायुयान से भिन्न) का, जो ऐसे व्यक्ति के

स्वामित्वाधीन है जो न तो भारत का नागरिक है, और न ही किसी भारतीय अभियान का हिस्सा है, निरीक्षण तब तक नहीं करेगा जब तक कि किसी संपत्ति या संस्थापन के निरीक्षण के लिए सम्यक् सूचना उस पक्षकार को जो ऐसी संपत्ति या संस्थापन का स्वामी है नहीं दे दी जाती है ।

(9) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण किए जा रहे स्थान का स्वामी या भारसाधक और प्रत्येक व्यक्ति जो उस स्थान पर पाया जाता है, निरीक्षण दल को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए समर्थ बनाने में सभी युक्तियुक्त सहायता करेगा और कोई सूचना, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रदान करेगा ।

(10) निरीक्षण दल ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा, जो विहित किए जाएं ।

बाधा और मिथ्या सूचना ।

32. (1) कोई व्यक्ति निरीक्षक या निरीक्षण दल को भारत या अंटार्कटिक में अपने कृत्यों का पालन करने में बाधा नहीं डालेगा या उनमें से किसी के लिए रुकावट पैदा नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी व्यक्ति को मिथ्या या भ्रामक सूचना, परिणाम या नमूने नहीं देगा ; या मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना अंतर्विष्ट करने वाला कोई दस्तावेज फाइल नहीं करेगा ।

अध्याय 7

अपशिष्ट निपटान और अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्ट का निपटान ।

33. भूमि पर के अपशिष्ट निपटान स्थलों और परित्यक्त कार्य स्थलों की ऐसे अपशिष्ट के जनित्रों द्वारा और ऐसे स्थलों के उपयोक्ताओं द्वारा सफाई की जाएगी:

परंतु इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि किसी संरचना या अपशिष्ट सामग्री के हटाए जाने का परिणाम तब ऐसी निर्मिति या अपशिष्ट सामग्री उसकी विद्यमान अवस्थिति में छोड़ने की तुलना में धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात है ।

अपशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंध योजना का स्थापन ।

34. (1) समिति पर—

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों से अंटार्कटिक में अपशिष्ट रिकार्ड करने के लिए ; और

(ख) वैज्ञानिक क्रियाकलापों और सहयुक्त क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघातों पर अध्ययन को सुकर बनाने के लिए,

अपशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली की स्थापना करेगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, अपशिष्ट निम्नलिखित वर्गों में पृथक्कित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) मल और घरेलू तरल अपशिष्ट ;

(ख) अन्य तरल अपशिष्ट जैसे चिकित्सीय और रासायनिक अपशिष्ट जिसके अंतर्गत ईंधन और स्नेहक भी हैं ;

(ग) ठोस अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत भस्मित होने वाले जैविक अपशिष्ट भी है ;

(घ) अन्य ठोस अपशिष्ट ;

(ङ) रेडियोधर्मी सामग्री ; और

(च) कोई अन्य अपशिष्ट, जो विहित किया जाए ।

(3) समिति, अपनी ऐसी अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करेगी, वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन करेगी और उसको उद्यतन करेगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्टेशन, सुविधा, क्षेत्र स्थल, क्षेत्र शिविर, जलयान और वायुयान के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए अपशिष्ट में कमी, भंडारण और निपटान की योजना भी है,—

(क) विद्यमान अपशिष्ट निपटान स्थलों और परित्यक्त कार्य स्थलों की सफाई करने के लिए कार्यक्रम ;

(ख) चालू और योजनाबद्ध अपशिष्ट प्रबंध ठहराव ;

(ग) अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए चालू और योजनाबद्ध ठहराव ;

(घ) अन्य उपाय जिनका उद्देश्य अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनीकृत करना है ।

(4) छोटी नौकाएं जो नियत स्थलों या जलयानों के प्रचालन का भाग है, के लिए कोई पृथक सूचना अपेक्षित नहीं होगी ।

(5) जलयानों और वायुयान के लिए विद्यमान प्रबंधन योजनाओं को इस धारा के अधीन अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार किए जाने को ध्यान में रखा जाएगा ।

(6) समिति, जहां तक व्यवहार्य हो, पिछले ऐसे क्रियाकलापों की अवस्थितियों की एक सूची तैयार करेगी, जिनके अंतर्गत आर-पार गमन पथ, ईंधन डिपो, फील्ड वेस, ध्वस्त वायुयान या कोई अन्य दुर्घटना और ऐसे अन्य क्षेत्र, जो विहित किए जाएं, भी हैं ।

(7) अपशिष्ट प्रबंध योजनाएं और उनके कार्यान्वयन पर रिपोर्टें, संधि के अन्य पक्षकारों के साथ सूचना के वार्षिक विनिमय में सम्मिलित होगी ।

(8) समिति, प्रत्येक स्टेशन, सुविधा और कार्यस्थल के लिए एक अपशिष्ट प्रबंध अधिकारी नियुक्त या पदाभिहित करेगी जो अपशिष्ट में कमी और निपटान की योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर करेगा और उनके सतत् विकास के लिए प्रस्ताव करेगा ।

अंटार्कटिक से अपशिष्ट का हटाया जाना ।

35. (1) अंटार्कटिक में उत्पन्न निम्नलिखित अपशिष्ट वहां से ऐसे अपशिष्टों के जनित्रों द्वारा हटाए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अर्थ के भीतर रेडियोधर्मी पदार्थ ; 1962 का 33

(ख) सभी प्रकार की बैटरियां या उनके घटक ;

(ग) ईंधन, तरल और ठोस दोनों ;

(घ) ऐसे अपशिष्ट, जिनमें भारी धातुओं का अपहानिकर स्तर या अत्यंत विषैले अथवा अपहानिकर दृढ सम्मिश्रण अंतर्विष्ट है;

(ङ) पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरिकेन, पॉलीस्टेराइन झाग, रबड, स्नेहक तेल, उपचारित काष्ठ और ऐसे अन्य उत्पाद, जिनमें ऐसे योजक अंतर्विष्ट है जो यदि भस्मित हों तो अपहानिकर उत्सर्जन जनित करेंगे ;

(च) सभी अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट;

(छ) जो सैन्यतंत्र प्रयोजनों के लिए अपेक्षित ईंधन ड्रम से ईंधन ड्रम भिन्न है;

(ज) अन्य ठोस, गैर-दहनशील अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत कांच और धातु की कतरन सम्मिलित है परंतु यह उन तक निर्बंधित नहीं है ;

(झ) आयतित जीवजंतुओं की शवों के अवशेष ;

(ञ) सूक्ष्मजीवों और पादप रोगजनकों का प्रयोगशाला संबर्धन ;

(ट) पुरःस्थापित पक्षी उत्पाद ;

(ठ) भस्मन की राख और उत्पाद ;

(ड) अप्रयोज्य मशीनरी और उपस्कर, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक सामान भी है ; और

(ढ) ऐसे अन्य अपशिष्ट, जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध अपशिष्ट को लागू नहीं होंगे यदि,—

(क) उन्हें जीवाणु विहीन बनाए जाने के लिए भस्मित किया जाता है, भाप विसंक्रामित किया जाता है या अन्यथा उपचारित किया जाता है ।

(ख) ऐसे अपशिष्ट को, उन्हें उनकी विद्यमान अवस्थितियों में छोड़ देने की बजाए धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अधिक प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात है ।

(3) अंटार्कटिक से घरेलू अपशिष्टों और अन्य तरल अपशिष्टों को हटाने से पहले उपचारित किया जाएगा और उनका हिमरहित भूमि क्षेत्रों, समुद्री हिम, हिम शेल्फों या नितल हिम की चादर का निपटान किया जाएगा और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से झील में निस्सारित नहीं किया जाएगा :

परंतु निस्सारी के लिए मानक वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध हिम शेल्फों या भूमिगत हिम की चादरों पर अवस्थित स्टेशन द्वारा जनित पदार्थों को लागू नहीं होंगे परंतु ऐसे अपशिष्ट का निपटान उपचार के पश्चात् गहरे हिम गर्त में किया जाता है जो एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है और ऐसे गर्त, ज्ञात हिम प्रवाह रेखाओं जो हिमरहित क्षेत्रों में या उच्च अपक्षरण क्षेत्रों में समाप्त होती हैं पर अवस्थित नहीं हो ।

(5) इस धारा के अधीन अपशिष्ट का समुद्र में निपटान, धारा 12 के अधीन इस संबंध में जारी किए गए अनुज्ञापत्र के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

(6) क्षेत्र शिविरों में जनित अपशिष्ट, निपटान के लिए सहायक स्टेशनों या जलयानों पर ले जाया जाएगा ।

दाह्य अपशिष्ट का निपटान ।

36. (1) दाह्य अपशिष्ट, जो ऐसे अपशिष्ट के जनकों द्वारा नहीं हटाए जाते हैं वे अपहानिकर उत्सर्जन से बचने के लिए अधिकतम व्यवहार्य सीमा तक भस्मक में जलाए जाएंगे और खुले में नहीं जलाए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपशिष्ट के भस्मन और अन्य उपस्कर तथा यानों से उत्सर्जन के मानक ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

अपशिष्ट का भंडारण ।

37. (1) अंटार्कटिक से हटाए जाने वाले या ऐसे अपशिष्ट के जनकों द्वारा अन्यथा निपटान किया गया संपूर्ण अपशिष्ट ऐसे ढंग से पृथक, निरुद्ध, परिबद्ध, और भंडारित किया जाएगा जिससे उनका पर्यावरण में छितराव रोका जा सके ।

(2) परिसंकटमय अपशिष्ट के रखे जाने या भंडारण के लिए आधान और टंकी प्रणाली ऐसी होगी, जो—

(क) अच्छी और गैर-रिसनीय अवस्था में हो ;

(ख) ऐसी सामग्री से बनी हुई या समनुकूल हो जो भंडारित किए जाने वाले अपशिष्ट के साथ प्रतिक्रिया न करे और अन्यथा उससे संगत हो, जिससे ऐसे अपशिष्ट को अन्तर्विष्ट करने वाले आधानों की क्षमता का ह्रास न हो ;

(ग) किसी ऐसी रीति में भंडारित होगा जो निरीक्षण और आपात जवाब हेतु पहुँच अनुज्ञात करता है ; और

(घ) किसी रिसाव और उसके क्षय की पहचान करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा और उसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा ।

अध्याय 8

समुद्री प्रदूषण के निवारण और आपात पर्यावरण के लिए दायित्व

समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं की अनुपालना सुनिश्चित करना ।

38. (1) समिति, अनुज्ञापत्र धारक द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित तथा सहबद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र में किए गए किसी क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों या संधि या प्रोटोकाल या ऐसी अन्य अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं, जो विहित की जाएं, का अनुपालन भी है, की अनुपालना सुनिश्चित करेगा ।

(2) अनुज्ञापत्र धारक, संपूर्ण अपशिष्ट और मल, जिसके अंतर्गत क्रियाकलापों के भागरूप में जलयानों के प्रचालन द्वारा कारित समुद्री पर्यावरण में सभी प्रवेशन और निस्सारण भी हैं, के अभिलेख को बनाए रखेगा और उक्त अभिलेख, समिति और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त महानिदेशक को, जब 1958 का 44
कभी अपेक्षित हो, प्रस्तुत किए जाएंगे ।

पर्यावरणीय आपात की दशा में प्रचालक के कर्तव्य और दायित्व ।

39. (1) यदि, अंटार्कटिक और आश्रित तथा सहबद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र में किसी क्रियाकलाप से कोई पर्यावरणीय आपात उत्पन्न होता है, तो प्रचालक, अविलंब, प्रभावी जवाबी कार्रवाई करेगा और समिति तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त महानिदेशक को, ऐसे पर्यावरणीय आपात के बारे में सूचित 1958 का 44
करेगा और तत्पश्चात् समिति इसे संधि के पक्षकारों को पारेषित करेगा ।

(2) यदि प्रचालक द्वारा, उपधारा (1) के अधीन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती है और पर्यावरणीय आपात की प्रकृति ऐसी है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है, तो पक्षकार, जहां जलयान या वायुयान रजिस्ट्रीकृत है, वहां प्रचालक की ओर से ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, और प्रचालक, पक्षकार या पक्षकारों द्वारा की गई ऐसी जवाबी कार्रवाई के लिए, ऐसे खर्च, जो प्रोटोकाल के उपाबंध 6 के अनुसार विहित की जाए, का संदाय करने का दायी होगा ।

(3) यदि प्रचालक या किसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रचालक, ऐसी शास्ति, जो प्रोटोकाल के उपाबंध 6 के अनुसार विहित की जाए, का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "पर्यावरणीय आपात" पद से कोई ऐसी अपूर्वकल्पित या आकस्मिक घटना अभिप्रेत है, जिसका परिणाम अंटार्कटिक पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण और हानिकर समाघात है या होने की सन्निकट आशंका है ।

प्रचालक की कतिपय मामलों में दायित्व से छूट ।

40. कोई प्रचालक धारा 39 के अधीन किसी पर्यावरणीय आपात के लिए दायी नहीं होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसा आपात, निम्नलिखित द्वारा कारित होता है,—

(क) ऐसे किसी कार्य के करने या लोप से, जो मानव जीवन की संरक्षा के लिए आवश्यक था ;

(ख) कोई असाधारण प्रकृति की प्राकृतिक आपदा जिसकी युक्तियुक्त रूप से पूर्वकल्पना नहीं की जा सकती थी और प्रचालक ने पर्यावरणीय आपात के जोखिम और संभावित हानिकर प्रभावों और जोखिम को कम करने के सभी युक्तियुक्त उपाय किए थे ;

(ग) आतंकवाद के किसी कार्य ; और

(घ) युद्ध कार्य जिसका उद्देश्य प्रचालक के क्रियाकलाप है :

परंतु प्रचालक, अपने कार्य या लोप का स्पष्टीकरण, ऐसे आपात की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, उसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए, समिति को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 9

अपराध और शास्तियां

किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

41. कोई व्यक्ति, जो—

(क) धारा 4 या धारा 5 या धारा 8 या धारा 12 या धारा 18 या धारा 19 या धारा 20 या धारा 21 या धारा 29 की उपधारा (4) या धारा 36 या धारा 37 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(ग) धारा 17 के उपबंधों का उल्लंघन करता है,—

(i) अंटार्कटिक में किसी नाभिकीय विस्फोट के लिए वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा ; और

(ii) अंटार्कटिक में किसी रेडियोएक्टिव अपशिष्ट सामग्री के निपटान के लिए वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा ;

(घ) धारा 11 या धारा 16 या धारा 33 या धारा 35 का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पंद्रह लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पचहत्तर लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनो से, दंडनीय होगा ;

(ङ) धारा 14 या धारा 32 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

जलयान को अंतर्वलित करने वाले, अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

42. जहां, इस अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन में कोई जलयान अंतर्वलित है, वहां ऐसे जलयान का प्रचालक,—

(क) धारा 6 या धारा 11 या धारा 12 या धारा 13 या धारा 18 या धारा 19 या धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पांच करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) धारा 7 या धारा 9 या धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

वायुयान को अंतर्वलित करने वाले, अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

43. जहां इस अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन में कोई वायुयान अंतर्वलित है, वहां ऐसे वायुयान का प्रचालक,—

(क) धारा 6 या धारा 11 या धारा 12 या धारा 19 या धारा 21 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पांच करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से , दंडनीय होगा ।

शास्ति, जहां अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है ।

44. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसके ऐसे किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था और जिसके संबंध में इस अधिनियम में विशिष्टतया कोई शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

45. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत उस फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी हैं ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

निधि का गठन ।

46. (1) अंटार्कटिक निधि के नाम से ज्ञात एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) इस अधिनियम के अधीन, अंटार्कटिक से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने के लिए प्राप्त की गई सभी फीस और संगृहीत प्रभार ;

(ख) ऐसे कोई अनुदान या ऋण जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए ; और

(ग) कोई अनुदान या ऋण जो किसी संस्था द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए ।

(2) निधि का उपयोजन अंटार्कटिक अनुसंधान कार्य के कल्याण और अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जाएगा ।

(3) समिति, निधि को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, बनाए रखेगी और प्रशासित करेगी ।

कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनुज्ञापत्र हेतु प्रतिभूति ।

47. (1) समिति, ऐसे आवेदकों से प्रतिभूति के रूप में ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, ऐसी रकम के निक्षेप की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) प्रतिभूति रकम, समिति द्वारा, अनुज्ञापत्र की शर्तों से आबद्धकर अनुज्ञापत्र धारक या किन्हीं व्यक्तियों या जलयानों द्वारा कारित किसी प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात का निवारण करने और उसका उपशमन या उपचार करने में सरकार द्वारा उपगत युक्तियुक्त खर्च के लिए सरकार को, पूर्ण रूप से या आंशिक प्रतिपूर्ति करने हेतु उपयोजित की जा सकेगी ।

पदाभिहित न्यायालय और अधिकारिता ।

48. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए, संबद्ध उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के मुख्य

न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा किसी एक या अधिक सत्र न्यायालय को पदाभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी और ऐसे न्यायालय की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) पदाभिहित न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण की अधिकारिता होगी ।

(3) कोई पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत पर लेगा अन्यथा नहीं ।

(4) पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन की गई शिकायत के अवलोकन पर, अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय को विचारण के लिए भेजे बिना उस अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकारिता प्रदत्त करने के प्रयोजनों के लिए अंटार्कटिक में किसी व्यक्ति या प्रचालक द्वारा इस अधिनियम के अधीन कारित कोई अपराध भारत में किया गया अपराध समझा जाएगा । 1974 का 2

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, पदाभिहित न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया जाए, से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का भी विचारण कर सकेगा । 1974 का 2

अपराधों की समिति को रिपोर्ट ।

49. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया गया है, वहां समिति द्वारा पदाभिहित अधिकारी या अंटार्कटिक स्टेशन का प्रमुख या कोई प्रचालक ऐसे अपराध के बारे में समिति को तुरंत रिपोर्ट करेगा और उसके पश्चात् समिति उसे केंद्रीय सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु पारेषित करेगी ।

अन्वेषण, आदि की शक्ति प्रदान करना ।

50. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या समिति के किसी अधिकारी को उक्त संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी, अन्वेषण, तलाशी और अभिग्रहण तथा अभियोजन की शक्ति प्रदान कर सकेगी । 1974 का 2

(2) इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करते हुए पुलिस अधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे ।

पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना ।

51. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, किसी पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और पदाभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा । 1974 का 2

लेखा और निधि की संपरीक्षा ।

52. (1) समिति, उचित लेखा और निधि के संबंध में अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ-हानि लेखा और तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित किया जाए ।

(2) समिति के लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

विवरणियां और रिपोर्ट ।

53. (1) समिति, केंद्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए, अंटार्कटिक में पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में ऐसी विशिष्टियों के साथ ऐसी विवरणियां और विवरण, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगी ।

(2) समिति, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथासंभवशीघ्र केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में और रीति में, जो विहित की जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए अपने क्रियाकलापों, नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में सही तथा पूर्ण ब्यौरा देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

54. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या समिति या इसके सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों या केंद्रीय सरकार या समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

55. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 11 के अधीन अंटार्कटिक विशिष्टतया संरक्षित क्षेत्र और समुद्री संरक्षित क्षेत्र ;

(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कोई अन्य प्रजातियां ;

(ग) ऐसे पदार्थ या उत्पाद, जो धारा 19 के अधीन अंटार्कटिक में नहीं ले जाएंगे ;

(घ) धारा 20 के अधीन ऐतिहासिक स्थल या इमारत और उसके भाग ;

(ङ) धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों के भत्ते या फीस और धारा (5) के अधीन सदस्यों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) धारा 24 के अधीन ऐसे अंतराल जिन पर समिति बैठक करेगी, समिति की बैठकों में कारबार करने के संबंध में प्रक्रिया के नियम और उसकी गणपूर्ति ;

(छ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन का प्ररूप, विशिष्टियां और फीस;

(ज) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन निबंधन और शर्तें;

(झ) धारा 27 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन अंटार्कटिक पर्यावरण और उसके आश्रित तथा सहबद्ध पारिस्थितिकीय तंत्रों पर अन्य महत्वपूर्ण हानिकारक प्रभाव ;

(त्र) धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा संचालित की जाने वाली पर्यावरण समाघात मूल्यांकन करने की रीति ;

(ट) धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन अपशिष्ट प्रबंधन योजना और आपात योजना तैयार करने की रीति ;

(ठ) धारा 27 की उपधारा (7) के अधीन ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया जा सकेगा और इसके नवीनीकरण हेतु संदत्त की जाने वाली फीस;

(ड) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक के रूप में पदाभिहित किए जाने वाले किसी अधिकारी की अर्हता और अनुभव तथा इस धारा की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन निरीक्षक के अन्य कृत्य;

(ढ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने की रीति, उपधारा (2) के अधीन किसी विश्लेषक की अर्हताएं और अनुभव तथा उपधारा (10) के अधीन निरीक्षण दल की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ण) धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य अपशिष्ट और ऐसे अन्य क्षेत्र, जिनके संबंध में इस धारा की उपधारा (6) के अधीन अवस्थानों की सूची तैयार की जा सकेगी ;

(त) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन ऐसे अन्य अपशिष्ट और उपधारा (3) के परंतुक के अधीन निस्सारण के मानक ;

(थ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन ज्वलनशील अपशिष्टों, उपस्करों और यानों के लिए मानक ;

(द) ऐसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि या प्रोटोकोल या अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं जिनका अनुज्ञापत्र धारक धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन अनुपालन करेगा ;

(ध) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन जवाबी कार्रवाई का खर्च और इस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रचालक द्वारा संदत्त शास्ति की रकम ;

(न) धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन निधि को बनाए रखने और प्रशासित करने की रीति ;

(प) आवेदकों का ऐसा प्रवर्ग जो धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन समिति में प्रतिभूति का निक्षेप कर सकेगा और ऐसे निक्षेप की रीति तथा प्रतिभूति की रकम ;

(फ) धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले वार्षिक विवरण के लेखे और तुलनपत्र का प्ररूप ;

(ब) वह समय जिसके भीतर प्ररूप और रीति जिसमें समिति धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को, विवरणियां और विवरण प्रस्तुत

करेगी तथा इस धारा की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति;

(भ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

56. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा ।

संसद् के समक्ष नियमों, अधिसूचनाओं या किए गए या जारी आदेशों का रखा जाना ।

57. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक अधिसूचना या जारी किए गए आदेश, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना या आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, अधिसूचना या आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु, यथास्थिति, नियम, अधिसूचना या आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———————